D. No. 125
19-1-2024

कार्यालय – मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर राज0

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अलवर मुख्यालय स्थित कार्यालय के लिए वर्ष 2024 के लिए फोटो कॉपियर्स की नियुक्ती की जानी है इस हेतु राजस्थान राज्य में स्थित ऐसे सुक्ष्म–लघु और मध्यम उध्यमो (एम एस एम ई फर्म) के रूप में पंजीकृत है से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत मोहर बंद बोली आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र शूल्क 100/रूपये जमा करा कर दिनांक 25/01/2024 को सायंकाल 5बजे तक इस कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। बोली प्रपत्र एवं धरोहर राशि 2000/रूपये के डिमाण्ड ड्राफट एवं अन्य वांछित दस्तावेजो सहित दिनांक 29/1/2024को दोपहर बाद 2बजे तक कार्यालय में जमा कराया जा सकेगा जो कि उसी दिनांक को सायंकाल 04:30बजे उपापन समिति के द्वारा खोला जायेगा। बोली का प्रारूप, शर्ते एवं अन्य विवरण ई–मेल आई डी mact-alw-rj@hcraj.nic.in पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण
अलवर

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,अलवर (राज0)

क्रमांक / 2023–24 /

दिनांक –

अलवर मुख्यालय स्थित मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण हेतु फोटो कॉपियर्स दर सविदा की शर्ते:–

1. बिना अमानत राशि जमा कराये प्रस्तुत की गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा दर मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी तथा अमानत राशि जरिये बैंकर्स चैक एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
3. स्वयं के खर्चे पर फोटो स्टेट मशीन अधिकरण परिसर में लगाने एवं स्वयं के खर्चे पर विद्युत व्यवस्था करने वाली फर्म को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। विद्युत व्यय प्रभार एवं अपने संयत्रो की पूर्ण सुरक्षा यथा बीमा,मरम्मत एवं अनुरक्षण आदि का भार स्वयं फोटो कॉपियर्स को वहन करना होगा।
4. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. नियत समय एवं दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. दर संविदा की जाने वाली फर्म को अपने स्वयं के खर्च पर राशि 500/– रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा साथ ही नियमानुसार निविदा की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जरिये बैंकर्स चैक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।
7. असफल निविदा दाताओं को उनके प्रस्तुत की गयी अमानत राशि निर्धारित समय के पश्चात लौटा दी जायेगी।
8. सशर्त दर संविदा स्वीकार नहीं होगी तथा दर अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
9. दर संविदा दिनांक 31.12.2024 तक मान्य होगी। इसके पश्चात दोनो पक्षो की सहमति से दर संविदा अवधि में वृद्धि भी की जा सकती है।
10. फोटो स्टेट का कार्य 70 जी.एस.एम. के लीगल साइज के पेपर पर करना होगा। घटिया मैटेरियल का प्रयोग नहीं किया जायेगा। (कागज का नमूना, फर्म की सील मय हस्ताक्षर संलग्न किया जावे।)
11. अधिकरण के द्वारा आदेशित कार्य को फर्म के द्वारा प्राथमिकता से निर्धारित समय पर ही करना होगा। जिसमें असफल रहने पर संविदाकर्ता फर्म को सामान्य वित्तीय लेखा नियम/आर.टी.पी.पी.एफ. 2013 के अनुसार दण्ड से आरोपित किया जा सकता है।
12. फोटो कॉपी की दरे कागज के एक ओर ही निविदत की जावे। कागज की दोनो ओर फोटो कॉपी स्वीकार नही की जायेगी।

13. फोटो स्टेट कार्य हेतु समस्त रिकॉर्ड अधिकरण के कार्मिक द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा एवं फोटो कॉपी कार्य करने के दौरान रिकार्ड की गोपनियता एवं सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फोटो कॉपीयर्स फर्म की ही होगी। आवश्यकता होने पर अवकाश के दिवस मे भी फोटो कॉपी का कार्य करना होगा।
14. आदेशित फोटो कॉपी के कार्य करने हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा कार्यालय समय के प्रारम्भ में सम्भलवाया जायेगा एवं प्राप्त होते ही तुरन्त फोटो स्टेट कार्य कर विभागीय कार्मिक को लौटाना होगा।
15. अनुबंधित फोटो कॉपियर फर्म को फोटो स्टेट कार्य का भुगतान प्रतिदिन ही किया जायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद विभागीय कार्मिक को राशि प्राप्त होते ही संभलानी होगी।
16. फोटो कॉपी से प्राप्त आय पर प्रचलित नियमो के अनुसार कोई कर बनता है तो नियमानुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जाकर भुगतान किया जायेगा।
17. अनुबंधित फोटोकॉपियर फर्म के द्वारा अपरिहार्य कारणवश फोटो कॉपी कार्य नहीं करने की स्थिति में अन्यत्र कार्य करने की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी तथा अनुबंधित फर्म की रिस्क एण्ड कोस्ट पर बाजार से कार्य करवाये जाने पर होने वाले हर्जे खर्चे का भुगतान अनुबंधित फोटोकॉपियर्स फर्म द्वारा ही करना होगा।
18. निविदा के साथ हस्ताक्षरित निविदादाता द्वारा घोषणा प्रपत्र (ANNEXTURE-A) भी संलग्न करना होगा।
19. विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड की गयी निविदाओ के लिए निविदाशुल्क 100 रूपये निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराना होगा।
20. समस्त विधिक कार्यवाही हेतु यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा अलवर स्थित सक्षम न्यायालय मे ही प्रवृत्त की जावेगी।

(हस्ताक्षर)
फर्म मालिक/पार्टनर
मय फर्म की सील

निविदा प्रपत्र शुल्क 200/– रू
(वापसी योग्य नही)